FS-3134832/19

फाइल नं. A.12016/07/2017/Lep

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीसीडी अनुभाग)

विषय -केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टु, में सीनियर नर्सिंग अधिकारी के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबध में।

कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग के दिंनाक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीयं कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टु में सीनियर नर्सिंग के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियों/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री अंम्बा दत्त बवाडी, अवर सचिव, स्वास्थय और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 753-क, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110008 या ई-मेल पर भेज सकते है।

अम्बादत्त बवाडी

(अंम्बा दत्त बवाडी)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष 23061510

नई दिल्ली

दिनांक

[भारत के राजपत्र, भाग 2 खंड3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख.........., 2019

अधिसूचना

सा. का. नि. - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू (वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी) समूह 'ख' भर्ती नियम, 1989 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या जिनका लोप किया गया है का अधिक्रमण करते हुए एतदद्वारा केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू में वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी विभाग में सहायक(वास्तुशिल्पीय विभाग (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2019 है ।

2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स या वेतनमान-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।
4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शाक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुलग्नक-III

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा संघ लोक सेवा आयोग को अनुमोदित भर्ती नियमों में संशोधन के लिए प्रस्ताव भेजने हेतु मंत्रालय/विभाग द्वारा भरा जाने वाला फार्म

1. (क) पद का नाम : नर्सिंग सिस्टर

   (ख)मंत्रालय/विभाग का नाम : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, केंद्रीय, लेप्रसी और प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू-603001, तमिलनाडु

2. संदर्भ सं. जिसमें आयोग का भर्ती नियमों के संबंध में परामर्श सूचित किया गया : लागू नहीं

3. मूल नियमों और अनुवर्ती संशोधनों की अधीसचूना की तारीख (मूल नियम और अनुवर्ती संशोधनों की प्रतियां, पताका कृत तथा संदर्भ सहित संलग्न की जाएं। : जीएसआर 450 दिनांक 02-06-1989

स्तंभ सं.	विवरण	अनुमोदित / मौजूदा नियमों में प्रावधान	प्रस्तावित संशोधित प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन के कारण
1.	**पद का नाम**	नर्सिंग सिस्टर	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	आदेश सं.जे.28015/41/2014-एन दिनांक 9/9/2016 द्वारा नाम परिवर्तन
2.	**पदों की संख्या**	2***+1* पद	12**पद	*सं. ए.11013/1/90-पएमएस दिनांक 11/5/1990 ** वाइड सं. 11013/2/1989-पीएफएमएस (भाग.III) दिनांक 29.4.1993 *** सं. I.17014/1/84-लेप-सीसीडी दिनांक.29/4/87 व 30/4/87
3.	**वर्गीकरण**	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ‘ख’, अराजपत्रित अननुसचिवीय	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ‘ख’, अराजपत्रित अननुसचिवीय	कोई परिवर्तन नहीं

5.	चयन या अचयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7.	सीधे भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं